उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

क0नि0-2- 67 /ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0 अध्या0-37-2008-आदेश-(2)-2008

दिनांक: 10 जनवरी, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007) की धारा 74 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अध्यादेश की अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार में दिनांक 01 जनवरी 2008 से प्रभावी निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

(क) अनुसूची-एक में क्रम संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43 व 49 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
1.	कृषि उपकरण जिसमें छिड़काव एवं ड्रिप सिचाई उपकरण सम्मिलित हैं - मानव चालित अथवा पशु चालित अथवा ट्रैक्टर अथवा विद्युत चालित, कलपुर्जे एवं उपस्कर आदि (क) कृषि उपकरण - मानव चालित अथवा पशु चालित - हैन्ड-हो या खुरपा, हसिया, फावड़ा, बागुरी, हैन्ड-व्हील हो, बडिंग/ग्राफटिंग चाकू, कर्तनी, प्रूनिंग शियर या हुक, हैज शियर, स्पिकलर, रैकर, स्प्रेयर, डस्टर एवं स्प्रेयर-कम-डस्टर, कुदाली या कुदाल, उद्यान चाकू, उद्यान हैचेट, लूपर (कर्तक), कुल्हाड़ी, फावड़ा, बेलहुक (सिंगल एज या डबल एज), मिट्टी छिद्रक, जैन्ड्रा, व्हील बैरो, ओसई पंखा या विनोवर, रोपछिद्रक, गड़ासा, पडलर, लेवलर या स्कूप, स्क्रैपर, खाद बीज डालने वाला यंत्र, शैलर, मूंगफली का छिलका उतारने का यंत्र, मैन्योर या सीड स्क्रीन, फ्लेम गन, खाद या बीज जांचने का यंत्र, तसला, तांगली, जुआ, हल, हैरो, कल्टीवेटर या त्रिफाली, बीज बोने का यंत्र, खाद डालने का यंत्र, बीज-सह-खाद डालने का यंत्र, प्लान्टर, काठफलक या डोगा, मेड़ बनाने का यंत्र, खाई खोदने का यंत्र, बंडफारमर, थ्रेशर या पल्ला, पौधे को एक स्थान से उठाकर लगाने वाला यंत्र (ट्रांसप्लान्टर), कुट्टी काटने का यंत्र, पुर रहट एवं बाल्टी समेत चेन या वाशर चेन, फसल आंकने का हूप, पुर या म्होट, गाड़ी (कार्ट), फसल काटने वाला यंत्र, घास काटने का यंत्र, गन्ना पेरने का यंत्र (क्रशर), गन्ने का रस उबालने का कढ़ाव एवं ग्रेटिंग रोलर और रम्भा, पशु चालित गाड़ी एवं उनके टायर व ट्यूब।

	(ख) कृषि उपकरण - ट्रैक्टर चालित एवं विद्युत चालित कृषि उपकरण - हल, हैगा (हैरो), खेती जोतने वाला यंत्र, बीज बोने का यंत्र, खाद डालने का यंत्र अथवा खाद-सह-बीज डालने का यंत्र,खाद को फैलाने वाला यन्त्र,प्लान्टर,काष्ठ फलक या डोंगा,पाटा या कर्बा, बण्ड फारमर, मेड़ बनाने का यंत्र (रिजर), पडलर, खाई खोदने का यंत्र, केज व्हील, छिड़कने वाला यंत्र, डस्टर या छिड़काव-सह-डस्टर यंत्र, रोलर, फावड़ा (कुदाल), घूमने वाला फावड़ा अथवा रोटो वेटर, फसल काटने वाला यंत्र या मोवर, आलू खोदने की मशीन या स्पिनर, मूँगफली खोदने का यंत्र, शेकर, थ्रेशर, कुट्टी काटने का यंत्र, बीज का छिलका उतारने का यंत्र (शैलर), मूँगफली का छिलका उतारने का यंत्र, बीज छांटने का यंत्र, बीज ओसाने वाला यंत्र, बीज उपचारित करने का यंत्र, मुर्गीदाना मिलाने एवं पीसने का यंत्र एवं पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुँचाने वाला यंत्र.
3.	जानवरों की नाल, नाल खुरी एवं नाल खुरी में प्रयोग होने वाले नेल।
4.	एक्वेटिक फीड, मुर्गीदाना जिसमें संतुलित मुर्गीदाना सम्मिलित है, पशुआहार जिसमें संतुलित पशु आहार सम्मिलित है एवं पशुचारा जिसमें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चोकर, जावी, ग्वार, तेलरहित राइस पालिस, तेलरहित राइस ब्रान, तेलरहित राइस हस्क या तेल रहित पैडी हस्क धान का बाहरी छिलका, एक्वेटिक, पोल्ट्री एवं पशु आहार सप्लीमेन्ट, कन्सन्ट्रेट एवं एडीटिव आदि, गेहूँ का भूसा एवं तेलरहित खली किन्तु उसमें खली शामिल नहीं है, राइस पालिस, राइस ब्रान एवं राइस हस्क, सनई व ढेंचा।
5.	शिड्यूल तीन की वस्तुओं से निर्मित चूड़ियों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की चूड़ियाँ, पीतल से निर्मित घुंघरू एवं घंटी, मूर्तियों के मुकुट, त्रिशूल, घड़ियाल, हवन कुण्ड, घंटा, मजीरा, ताँबा या पीतल से बनी आचमनी।
6.	पान का पत्ता, तैयार या बिना तैयार पान।
8.	मोटा अनाज जैसे कि - ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा, कोदो, जौ एवं कुट्टू, रामदाना, सिंघाड़ा (ताजा, सूखा अथवा छिला), कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा आटा ; सावाँ, मन्डुआ, काकुन एवं मन्झरी (अनकारी)।
9.	कन्डोम एवं गर्भ निरोधक, ओरल कन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
10.	हैन्क व कोन में सूती धागा, हैन्क व कोन में रेशमी धागा, पाली-कॉटन रोविंग (पूनी) एवं स्लाईवर, काटन निवाड़, हाथ से बना धागा, हैन्डलूम निवाड़, काँस, मूंज एवं सन से निर्मित बान।
14.	मिट्टी के बर्तन एवं अन्य सभी सामान जो कुम्हार द्वारा मिट्टी से बनाये गये हों परन्तु इसमें सिरेमिक से बने बर्तन एवं अन्य सामान सम्मिलित नहीं है, गोबर एवं गोबर से बना उपला, छत छाने के लिए बनी मिट्टी की टाईल्स (खपरैल और नाली)।
19.	ताजी सब्जियाँ एवं ताजे फल जिसमें आलू, प्याज, लहसुन एवं अदरक सम्मिलित है। ताजा गन्ने का रस एवं ताजा फलों का रस जिनमें सील्ड या टिन कन्टेनर में पैक्ड एवं होटल या रेस्टोरेन्ट में बिक्री के उक्त रस शामिल नहीं है।
23.	कुमकुम, बिन्दी, आलता और सिंदुर, रोली, महावर, मेंहदी की पत्ती एवं इसका पाउडर, काजल, सुरमा, बालों की पिन, बालों का बैण्ड, बालों की चिमटी (मूल्यवान धातुओं से निर्मित से भिन्न), रबड़ बैण्ड, सैफ्टीपिन, पुटीला, बिछिआ एवं राखी ; काँच से निर्मित मोती एवं मूंगा।
25.	राष्ट्रीज ध्वज, समाचार पत्र, समाचार पत्रों के प्रकाशकों को न्यूज प्रिन्ट की बिक्री; ध्वज, पोस्टर, बैनर, टोकेन एवं समान प्रकार की वस्तुयें जो सात दिसम्बर को मनाये जाने वाले सशस्त्र सेना झन्डा दिवस से सम्बन्धित है।
26	कार्बनिक एवं जैविक खाद; जिंक सल्फेट उर्वरक तथा फर्टिलाईजर व माईक्रो न्यूट्रियेन्ट मिश्रण; निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों के पोटश तथा फॉस्फैटिक संघटक :-

क्र0सं0	रासायनिक खाद	अवयवों का अनुपात
1-	डी0ए0पी	18:46:0
2-	एम0ओ0पी0	----------
3-	एस0एस0पी0	----------
4-	एन0पी0के0	12:32:16
5-	एन0पी0के0	20:20:0
6-	एन0पी0के0	15:15:15
7-	एन0पी0के0	23:23:0
8-	एन0पी0के0	14:35:14
9-	एन0पी0के0	20:20:10
10-	एन0पी0के0	15:15:10
11-	एन0पी0के0	10:10:10
12-	एन0पी0के0	12:6:0
13-	एन0पी0के0	16:9:0
14-	एम0ए0पी0	11:52:0

रसायनिक उर्वरको में विभिन्न संघटकों के प्रतिशत का अवधारण कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा ।

27.	पापड़, आम पापड़, कचरी, सिवइयां, मुंगोड़ी, बड़ी जिनमें सोयाबीन बड़ी एवं सोयाबीन मुंगौड़ी शामिल नहीं है।
28.	धार्मिक संस्थानों द्वारा बेचा जाने वाला प्रसाद, भोग या महाभोग, पंचामृत, मिश्री, विभूति, बताशा, इलायची दाना, गट्टा, कम्पट।
31.	वीर्य जिसमें जमा वीर्य भी सम्मिलित है, बोन्स, सींग और खुर।
32.	स्लेट एवं स्लेट पैंसिल, तख्ती, चाक स्टिक एवं चाक पाउडर, श्याम पट, झाड़न (डस्टर)।
35.	कच्चा हरा नारियल, पानी वाला नारियल।
36.	बन, रस्क, ब्रेड (पिज्जा ब्रेड को छोड़ कर); आटा, मैदा, सूजी, बेसन गुड़, भेली तथा खाने योग्य राब गुड़ ।
40.	पवित्र धागा (जिसे सामान्यतः यज्ञोपवीत के रूप मे जाना जाता है),लकड़ी के खड़ाऊ।
41.	एसेन्स स्टिक जिसे सामान्यतः अगरबत्ती, धूपकाठी या धूपबत्ती, हवन सामग्री के रूप में जाना जाता है, जिसमें धूप, अगरबत्ती, सम्ब्रानी या लोहबान सम्मिलित है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कण्ठी माला।
	स्थानीय महत्त्व की वस्तुएं
42.	चिकन उत्पाद एवं बनारसी रेशमी साड़ी, कलावत्तू।
43.	पतंग, मांझा एवं पतंग उड़ाने की चरखी।
49.	हस्तशिल्प जिसमें लकड़ी के बने हस्तशिल्प एवं केन के बने हस्तशिल्प सम्मिलित है परन्तु लकड़ी का फर्नीचर एवं केन का फर्नीचर सम्मिलित नहीं है।

(ख) अनुसूची-दो भाग-क में,-

क्रम संख्या 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 23, 24, 26, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 71, 72, 74, 79, 83, 85, 87, 92, 97, 104, 107, 115, 116, 119, 123, 125, 127, 136 व 137 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थातः-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
3	समस्त अस्पर्शीय गुड्स जैसे कि - कापी राइट, पेटेन्ट, रेप0 लाइन्सेन्स आदि; वस्तु के प्रयोग के अधिकार का हस्तान्तरण।
4	समस्त धातु की कास्टिंग्स, अनुसूची तीन की वस्तुओं से निर्मित चेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी धातु या एलोय से निर्मित चेन।
5	मारबल गुड्स, ताँबा या ब्रास से निर्मित दीपक, ब्रास से निर्मित मूर्ति, वूलेन कारपेट, कप, ट्राफी एवं शील्ड, नाइयों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली कैंची व उस्तरा, पैडलाक, रामपुरी चाकू।
7	कीमती धातुओं से बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य समस्त बर्तन, जिसमें प्रेशर कुकर/कढ़ाई भी सम्मिलित है, कलात्मक पीतल के सामान, इंगटस(गुल्ली) एवं कोरा माल।
12	गन्ने की खोई (बेगास), लकड़ी का बुरादा।
13	बांस, बांस की तीली (फट्टी)।
20	रासायनिक खाद, जिसमें अनुसूची-एक के क्रमांक-26 में उल्लिखित रासायनिक खादें सम्मिलित नहीं है; माइक्रो न्यूट्रीएन्ट्स तथा प्लान्ट ग्रोथ प्रमोटर्स एवं रैगुलेटर्स, हर्बीसाइड, रोडेन्टिसाइड, इन्सेक्टीसाइड, वीडिसाइड, पैस्टीसाइड।
23	बोनमील, हड्डी का चूरा, बोन सैन्यूज, बोनग्रिस्ट।
24	लोहा एवं स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ से बनी बाल्टियाँ (जिसमें मूल्यवान पदार्थ से बनी वस्तुऐं सम्मिलित नहीं हैं), प्लास्टिक की अन्य कन्वियन्स की वस्तुएं।
26	मशीनरी, इक्विपमेन्ट, अपरेटेस, टूल्स, मोल्ड, डाईज एवं कम्पोनेन्ट स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज इत्यादि, अर्थ मूवर्स।
45	कढ़ाई अथवा जरी की वस्तुऐं जैसे कि - लच्छा, थापा, गोखुरू ईमी, जरी, कसाब, सलमा, दबका, चुमकी, गोटा, सितारा, नगसी, कोरा, सीसा, बाडिआ गिजाई कटिंग एवं वेस्ट सहित जरी के हार, कढ़ाई की मशीन, कढ़ाई की सुई।
46	अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोट बुक एवं वर्क बुक, स्कूल बैग, ग्रीटिंग कार्डस एवं कलेण्डर्स।
51	निकाला गया ।
52	अनाज जिसमें धान चावल एवं गेहूँ सम्मिलित है।
53	ग्लूकोज।
54	निकाला गया ।
71	लाख एवं शैलाक पाशवा सहित, मुलम्मा, बटन लाक एवं कोरी।
72	दाबीकृत अथवा सिले हुए पत्ते से बने प्लेट एवं कप; चूना जो सफाई के कार्य में आता है।
74	चूना, चूना पत्थर, डोलोमाईट एवं व्हाईट वॉश की अन्य वस्तुएं जो कि किसी अन्य शिड्यूल में अंकित नहीं हैं।
79	चिकित्सीय उपकरण/डिवाईस एवं उपस्कर; कान्टेक्ट लेन्सेज, चश्मों के फ्रेम, लेन्सेज, चश्में जिनमें धूप के चश्में एवं धूप के लेन्सेज सम्मिलित नहीं है ।
83	मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रैप, सभी प्राकर के फुटवियर जिनका

	अधिकतम उपभोक्ता मूल्य तीन सौ रूपये या उससे कम हो।
85	निवाड़ (काटन निवाड़ व हैंडलूम निवाड़ को छोड़कर) एवं टेप
87	नट, बोल्ट, पेंच एवं फास्टनर जैसे कि -कब्जे, कील, रिवेट्स कॉटर, कॉटर पिन्स, स्टैपल, पैनल पिन एवं औजार, तेल की कुप्पी, कारीगरों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली रेती।
92	सभी प्रकार का कागज (जिसमें समाचार पत्र प्रकाशकों से भिन्न को न्यूज प्रिन्ट की बिक्री सम्मिलित है) , हस्तनिर्मित कागज एवं गम टेप सम्मिलित है, चाहें इनका प्रयोग लिखने, छापने, नकल उतारने, पैकिंग अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाये परन्तु इसमें सैलोफेन, मिल बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड एवं ग्रे बोर्ड सम्मिलित नहीं है, प्लाई वुड, फ्लश डोर एवं ब्लाक बोर्ड, हार्डवियर्स, मिल स्टोर्स।
97	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, औजार-बी0ओसी इन्क्यूबेटर, सी0ओसी उपकरण, आयन विश्लेषक, वायु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण- फिल्टर, (फैब्रिक्स फिल्टर, बैग फिल्टर, निर्वात फिल्टर) इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन्स, वेट स्क्रबर, कण विश्लेषक (SO_2, CO, NOx, SOx, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि), व्यक्तिगत सैम्पलर, डिटेक्टर्स (घास के लिए), उच्च वाल्यूम सैम्पलर, प्रेशर गेज, टाईमर, फिल्टर हेड असेम्बली, पिटेट ट्यूब, सैम्पलिंग ट्रेन (एम्बीएन्ट / स्टैक्ड वायु के देखभाल हेतु), धूम्र मीटर, मिस्ट एलीमिनेटर।
104	बांस की लुगदी, लकड़ी की लुगदी एवं रद्दी कागज की लुगदी।
107	सिलेसिलाये वस्त्र, बिना भरी रजाई।
115	साल्वेन्ट आयल्स (जिसमें कार्बनिक सालवेन्ट आयल सम्मिलित नहीं है); तेल पर आधारित वाशिंग सोप, जिसमें डिटरजेंट एवं टॉयलेट सोप सम्मिलित नहीं है।
116	समस्त प्रकार के मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स जिसमें क्यूमिन सीड, टरमरिक, अजवायन, हल्दी, धनिया, हींग, मैथी, सौंठ, कलौंजी, सौंफ, खटाई, अमचूर, लौंग पत्ता, दालचीनी, तेजपत्ता, जावित्री, जायफल, कालीमिर्च, सभी प्रकार की इलायची, सूखी मिर्च, काबुल मिर्च, आरारोट, मशरूम, खुम्बा एवं गुच्छी, गोला, गोले का बुरादा, सींक नारियल, तिल, राई, पोस्तादाना, सभी प्रकार के मगज, केसर, मेवा, सोयाबीन बड़ी एवं सोयाबीन मुंगोड़ी।
119	नैरो वोविन फैब्रिक्स, नान वोविन फैब्रिक्स, कोटेन कोटेड फैब्रिक्स।
123	उपकरण, आरी एवं कन्नी जो बढ़ई एवं राज मिस्त्री के द्वारा प्रयोग की जाती है।
125	ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर ट्राली, हारवेस्टर्स एवं अटैचमेन्ट एवं इसके पुर्जे, ट्रैक्टर के टायर व ट्यूब।
127	ट्रांसमीशन वायर एवं टावर्स, टेलीकाम टावर।
136	लिखने के उपकरण, ज्योमेट्री बाक्सेज, कलर बाक्स, केरीऑन्स एवं पैंसिल शार्पनर्स, स्केल एवम् इरेजर, साइन्टिफिक, मैथेमैटिकल सर्वे, मैकेनिकल ड्राइंग, बाइलोजिकल इन्स्ट्रूमेन्टस एवं उपकरण ।
137	मिठाई, नमकीन और शुगर प्रोडेक्ट्स, बूरा, कुलिया, रेवड़ी एवं गजक।

(ग) अनुसूची-2 भाग ख में,-

क्रम संख्या 13, 15 25 एवं 29 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
13	प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड्स।

15	डाटा / ग्राफिक डिस्प्ले ट्यूब्स, टी0वी0 पार्टस, टी0वी0 पिक्चर ट्यूब्स एवं उनके पुर्जे।
25	अन-इन्टरेप्टेड पावर सप्लाई (UPS) डिवाईस एवं इनके पार्ट्स।
29	निकाला गया।

(घ) अनुसूची-दो भाग-ग मे,-

क्रम संख्या 6, 38, 71, 150, 151, 172, 196, 197, 207, 255, 259, 260, 264 व 266 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थातः-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
6	निकाला गया।
38	हाइड्रोजन, रेअर गैस, आक्सीजन गैस।
71	कार्बोनेट्स, परऑक्सोकार्बोनेट्स (परकार्बोनेट्स), वाणिज्यिक अमोनियम कार्बोनेट्स जिसमें अमोनियम कार्बोनेट्स उपलब्ध हो, पोलीकार्बोनेट।
150	प्रिपेअर्ड रबर एक्सीलरेटर्स; रबर या प्लास्टिक्स के कम्पाउन्ड प्लास्टिसाइजर्स, जिन्हें कहीं अन्यथा उल्लिखित अथवा शामिल न किया गया हो; रबर या प्लास्टिक्स हेतु एन्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रिपरेशन्स एवं अन्य कम्पाउन्ड स्टैबिलाइजर्स, जूतों के अपर एवं लोअर, सोल, आइलेट एवं जूतों के फीते।
151	रिड्यूसर एवं ब्लेन्कट वाश/ रोलर वाश जो छपाई उद्योग में प्रयोग होते है, रबर ब्लैंकेटस।
172	प्लास्टिक की अन्य प्लेट्स, शीट्स, फिल्म, फ्वाइल एवं स्ट्रिप, नान सेलुलर, चाहे लेक्ड या मेटेलाइस्ड या लैमिनेटेड, सपोर्टेड या इसी प्रकार से अन्य पदार्थों से युक्त हो या नहीं, प्रिंटिंग में प्रयोग होने वाली प्री-सेन्सिटाईज्ड एल्यूमिनियम प्लेट, लिथ फिल्म।
196	एल0एल0डी0पी0ई0 / एल0डी0पी0ई0 / एच0डी0पी0ई0, पी0पी0 / एच0डी0पी0ई0, वोवन सैक्स पी0पी0 / एच0डी0पी0ई0 फ्रेब्रिक्स, एच0डी0पी0ई0 मोसक्यूटो नेट।
197	रिफ्रैक्ट्री मोनोलिथिक।
207	वुडन क्रेट्स, टी चेस्ट्स, विनियर।
255	मेन्था आयल, डीमेन्थलाइज्ड आयल और मेन्थाल।
259	डाईज एण्ड डाईस्टफ जिसमे निम्नलिखित शामिल नहीं है : "पेन्ट, इनेमॅल, सीमेन्ट बेस्ड वाटर कलर्स, ड्राई डिस्टेम्पर, ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर, इमल्शन पेन्ट्स (जिसमें एक्रेलिक एवं प्लास्टिक इमल्शन पेन्ट्स भी शामिल है), लैकर्स (जिसमें सेल्यूलोज लैकर्स भी शामिल है), वार्निसेज एवं सभी प्रकार के सिन्थेटिक एडहेसिव्स"।
260	ग्वार, ग्वार रिफाइन्ड दाल या टुकड़ा, ग्वार गम पाउडर एवं पुनवाड।
264	बार्ले माल्ट, मोलेसेस, ईस्ट, जैल (केक इम्प्रूवर), ब्रेड इम्प्रूवर, बेकरी मिक्स एवं बेकिंग पाउडर।
266	स्टेनलेस स्टील इगट, बिलेट्स, ब्लूम्स ,फ्लैट्स, फ्लैट बार्स, पट्टा एवं सर्किल, माइल्ड स्टील शीट्स, स्टेलनेस स्टील वायर, वायर राड, राउण्ड, ब्राइट बार, शीट एवं प्लेट।

(च) अनुसूची-तीन में क्रम संख्या 3 की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी अर्थात,-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
4.	दालें (साबुत अथवा दली हुई)

(छ) अनुसूची-चार में,-

क्रम संख्या 1, 2, 3, 6, 9, 10 व 11 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
1	स्प्रिट एवं समस्त प्रकार की स्प्रिटयुक्त मदिरा जिसमें यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट 1939 में यथापरिभाषित एल्कोहल सम्मिलित है, परन्तु इसमें देशी शराब सम्मिलित नहीं है।	नि0/आ0	32.5%
2	निकाला गया ।		
3	निकाला गया ।		
6(क)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट 1939 में वर्णित है, जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए।	नि0/आ0	4%
6(ख)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट 1939 में वर्णित है, कालम 6 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	21%
9(क)	फरनेस आयल जिसमें रेजीडुअल फरनेस आयल सम्मिलित है, जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए।	नि0/आ0	4%
9(ख)	फरनेस आयल जिसमें रेजीडुअल फरनेस आयल सम्मिलित है कालम 9 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	20%
10(क)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (C.N.G.) सम्मिलित नहीं है, जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए।	नि0/आ0	4%
10(ख)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (C.N.G.) सम्मिलित नहीं है, कालम 10 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	20%
11(क)	नैफ्था जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए।	नि0/आ0	4%
11(ख)	नैफ्था, कालम 11 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	20%

आज्ञा से,

(के0चन्द्रमौलि)

प्रमुख सचिव